

चित्रांग’ में कैनवास पर उकेरी यात्रा

जयपुर। शहर के वरिष्ठ कलाकार, 70 वर्षीय जगदीश चंद्र ने अपनी सोलो आर्ट एग्जिबिशन ‘चित्रांग’ में प्रकृति, यात्रा और इतिहास से प्रेरित कृतियों के माध्यम से दर्शकों को एक दृश्यात्मक यात्रा पर ले जाने का प्रयास किया है।

आमेर किले की लम्बी दीवारें, दीवान-ए-खास की भव्यता, राधा-कृष्ण के श्रृंगार, बाजीराव-मस्तानी की प्रेम कथा और प्रकृति की मनोहारी छवियाँ उनकी पेंटिंग्स में जीवंत रूप से उभरती हैं। जवाहर कला केंद्र की सुदर्शन आर्ट गैलरी में शुक्रवार को उनकी पाँच दिवसीय कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों पर आधारित कुल 25 चित्र प्रदर्शित किए गए हैं।

प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रतिष्ठित कला समीक्षक एवं संस्कृतिकर्मी तुषि पांडे, सुधीर माथुर, ऋषि मिंगलानी, संजय कोठारी सहित अन्य गणमान्यजनों द्वारा किया गया।

इस अवसर पर जगदीश चंद्र ने बताया कि उन्हें भ्रमण का विशेष शौक है और उनकी अधिकांश कृतियाँ उनके यात्रा अनुभवों से प्रेरित हैं।

किसी चेहरे की मासूमियत स्मृति में रह जाए तो वे उसे कैनवास पर उतार देते हैं, वहीं प्रकृति की खूबसूरती को रंगों की दुनिया में सहेजते हैं। यह प्रदर्शनी 20 जनवरी तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी।

‘चौरियर क्लैन्स’ शीर्षक यह पेंटिंग 17वीं-18वीं शताब्दी के राजस्थान के उस कालखंड को जीवंत करती है, जब वीरता, शौर्य और कला आपस में गहराई से जुड़े हुए थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 1008 कुण्डीय हनुमान महायज्ञ में हुई शामिल

राष्ट्रपति के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनकी अगवानी की

जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शुक्रवार को एक दिवसीय यात्रा पर जयपुर पहुंची। मुर्मु सीकर रोड़ स्थित नौदड़ में 1008 कुण्डीय हनुमान महायज्ञ और श्रीराम कथा में शामिल हुईं।

- राष्ट्रपति का एक दिवसीय जयपुर दौरा**
- स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के सानिध्य में हवन में दी पूर्णाहुति**
- राष्ट्रपति ने देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि के साथ विश्वकल्याण की कामना की**

उन्होंने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में मंत्रोच्चार के



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ विश्वकल्याण के लिए हवन में पूर्णाहुति दी।

साथ विश्वकल्याण के लिए हवन में पूर्णाहुति दी।

इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे।इस दौरान राष्ट्रपति ने महायज्ञ में पूजा-अर्चना कर देश-प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने यज्ञशाला की परिक्रमा लगाई। इस दौरान राष्ट्रपति ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात कर उनकी अभिनंदन भी किया। इससे पहले राष्ट्रपति के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने

की कामना की। इसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने यज्ञशाला की परिक्रमा लगाई। इस दौरान राष्ट्रपति ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात कर उनकी अभिनंदन भी किया। इससे पहले राष्ट्रपति के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने

पुष्पगुच्छ भेंट कर उनकी अगवानी की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, सांसद मदन राठौड़, मुख्य सचिव बी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बेशकीमती बंगलों को लेकर पूर्व राजपरिवार के खिलाफ देरी के आधार पर दावा खारिज

जयपुर। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6, महानगर प्रथम ने शहर के सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 15 व बंगला नंबर 16 के स्वामित्व को लेकर पूर्व राहपरिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर दावे को देरी से पेश करने के आधार पर खारिज कर दिया है। अदालत ने यह आदेश संपदा निदेशालय की ओर से पेश दावे पर सुनवाई करते हुए दिए। पीठासीन अधिकारी मुकेश परनामी ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने इन संघतियों का कब्जा प्राप्त करने के लिए परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 112 के तहत तीस साल की अवधि में कोई कार्यवाही करना प्रकट नहीं

हुआ है, बल्कि ब्रिगेडियर भवानी सिंह को संपत्ति खाली करने का नोटिस तीस साल बाद मई, 2003 में जारी किया गया था।

राज्य सरकार की ओर से पेश दावे में पद्मिनी देवी, दिया कुमारी और पद्मनाभ सिंह को पक्षकार बनाते हुए कहा गया कि 28 दिसंबर, 1971 को संविधान के अनुच्छेद 363 के प्रभावी होने से देशी राज्य के शासकों को दी गई मान्यता को समाप्त कर उनकी निजी पॉलिसियों का अंत किया गया था। ऐसे में बंगला नंबर 15 व 16 स्वामित्व राज्य सरकार का हो गया। इसलिए इन बंगलों का साल 1971 से दावा पेश करने तक एक मुश्त दस

करोड़ रुपए और बाद में प्रतिमाह दस लाख रुपए के हिसाब से इसका किराया दिलाया जाए। जिसका विरोध करते हुए पूर्व राज परिवार की ओर से अधिवक्ता रमेश शर्मा ने कहा कि दावे में राज्य सरकार वाद कारण 1971 में उत्पन्न होना बता रही है। ऐसे में सरकार परिसीमा अधिनियम के तहत साल 2002 तक ही इस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई कर सकती थी।

ऐसे में राज्य सरकार का यह दावा अवधि की मियाद से बाहर होने के कारण खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दावे को तय अवधि के बाद पेश होने के आधार पर खारिज कर दिया है।

सरकार की नीतियों से राजस्थान बना निवेशकों की पहली पसंद : उद्योग मंत्री

जयपुर। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में राजईज राजस्थान समिट के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर अपनी दूरगामी सोच को जनता के समक्ष स्पष्ट किया। निवेशकों ने भी राज्य सरकार पर भरोसा जताते हुए लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए जिनमें से अब तक 8 लाख करोड़ रूपये से अधिक के एमओयू धरातल पर उतरने में सफल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजवलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार की दूरदर्शी एवं विकासोन्मुख सोच का ही परिणाम है कि गए दो वर्षों में राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन निर्णयों के क्रियाव्यवहन में रीको ने भी अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है।

राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, लोगों को रोजगार मिले एवं उद्यमियों को अपना उद्योग लगाने एवं संचालन में आसानी हो। इसके लिए राज्य सरकार एवं रीको ने नई नीतियां जारी की तथा नियमों का सरलीकरण किया। राजईज राजस्थान में एमओयू करने वाले निवेशकों को आरक्षित दर पर औद्योगिक भूमि उपलब्ध हो सके इसके लिए रीको ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना मार्च 2025 में लागू की जिसके सात चरण पूर्ण हो चुके हैं। इसी तरह रीको औद्योगिक क्षेत्रों में पट्टाधारी अपने आवंटित भूखण्ड को एक अनुमत उपयोग से दूसरे अनुमत उपयोग में ले सके इसके लिए नियमों में संशोधन किया गया। निवेशकों को अविकसित एवं अधीकसित भूमि उपलब्ध कराने के

लिए अविकसित एवं अधीकसित नीति भी लागू की जिससे निवेशक बहुत कम समय में अपनी परियोजना को स्थापित कर सकते हैं। लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग के लिए भी रीको ने नई नीति लागू की जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में नियोजित भूखण्ड पर लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग इकाई लगाई जा सके। रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन की प्रति तेज हुई है। रीको ने अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान औद्योगिक विकास के प्रमुख संकेतकों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में भूमि आवंटन, राजस्व और औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान आवंटित भूमि की लागत बढ़कर 3,200 करोड़ रूपये हो गई।

फॉल सीलिंग हादसे में होटल मालिक को राहत

जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने करीब दस साल पहले टॉक रोड स्थित फॉर्चून बेलाकासा होटल में एक निजी कार्यक्रम के दौरान फॉल सीलिंग गिरने से हुई चार जनों की मौत मामले में होटल मालिक अनिल कुमार गर्ग के खिलाफ अपराध नहीं माना है।

वहीं होटल प्रबंधक के खिलाफ भी गैर इरादतन हत्या की बजाय लापरवाही से मौत का कारण बनने के मामले में केस चलेगा।

इसके साथ ही अदालत ने होटल मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में निचली अदालत की ओर से लिए प्रसंज्ञा को रद्द कर दिया है।

- फिलहाल आरोपी को सांचौर थाना पुलिस को सौंप दिया गया है, जहाँ गहन पुछताछ में तस्करी के बड़े नेटवर्क के खुलासे होने की उम्मीद है**

हरियाणा और पंजाब से शराब तस्करी कर राजस्थान और मुख्यतः गुजरात में सप्लाई किया जाता है।

इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम में डीएसपी फूलचंद, एएसआई राकेश जाखड़ और कांस्टेबल मगनाराम की सक्रिय भूमिका एवं कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार की तकनीकी भूमिका रही। विशेष रूप से कांस्टेबल सुरेश सिंह और सुनील की सूचना तंत्र की सटीकता ने इस इनामी अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद की। फिलहाल आरोपी को सांचौर थाना पुलिस को सौंप दिया गया है, जहाँ गहन पुछताछ में तस्करी के बड़े नेटवर्क के खुलासे होने की उम्मीद है।

25 पौधे लगाने की शर्त पर 15 साल पुराना दावा बहाल

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बेदखली और वसूली से जुड़े दावे को निचली अदालत की ओर से पक्षकार की अनुपस्थिति के कारण पन्द्रह साल पहले खारिज दावे को सशर्त बहाल कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह सार्वजनिक स्थान पर 25 छायादार पौधे लगाकर उसकी देखभाल करेगा। वहीं अदालत ने प्रतिवादियों को दस हजार रुपए भी अदा करने को कहा है। सस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश रशीदन व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पौधारोपण से जुड़ी फोटो निचली अदालत में पेश करेगा और इसकी देखभाल का शपथपत्र भी देगा। यदि इस

एआई के बारे में बताया

जयपुर। बनीपाक स्थित एसएसजी पारीक पीजी महिला महाविद्यालय में आईक्यूएसी के तहत राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में इम्पेक्ट आफ एआई आन ह्यूमन सोसायटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषयक दो दिवसीय कॉन्फ्रेंका आयोजन किया।

शाभरंभ मुख्य अतिथि राजस्थान वि्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, डिप्टी डायरेक्टर राजेश कुमार गर्ग ने किया।

भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के दुष्प्रचार का खंडन करें : अरूण सिंह

- भाजपा ने भ्रष्टाचार पर किया प्रहार तो रूकी बिचौलियों की कमाई, कांग्रेस के शुक्र हुआ पेट में दर्द : मदन राठौड़**

योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, जबकि देश में सबसे अधिक योजनाओं के नाम बदलने का काम स्वयं कांग्रेस ने किया है। इसके अलावा, फसल की बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों का ब्रेक देने का निर्णय मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। जिससे फसल कटाई और बुवाई के समय देश के किसानों को पर्याप्त मजदूर मिल पाएंगे। अरूण सिंह ने कहा कि कांग्रेस जितना अधिक प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करेगी, जनता उतनी ही मजबूती से कांग्रेस को जवाब देगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीबी जी रामजी जनजागरण अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर और पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के अनुसार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो हर योजना में कमी निकालने का काम

सनातनी किन्नरों के शोषण का मुद्दा गरमाया: किन्नर अखाड़ा ने की जांच की मांग

जयपुर। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को मानसरोवर स्थित सुमेरु पैराडाइज में किन्नर अखाड़ा द्वारा देश में पहली बार किन्नर समाज के भीतर चल रही अवैध गतिविधियों और धार्मिक कट्टरता पर एक बैठक का आयोजन किया गया।

जिसमें किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास महाराज ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि देशभर में एक संगठित जाल किन्नर जिहाद के नाम पर सक्रिय है, जो सनातनी किन्नरों के धर्मांतरण, अवैध वसूली और आर्थिक शोषण में लिप्त है। उनके इस प्रयास को बजरंग सेना, हिन्दू वाहिनी सेना, विश्व हिंदू परिषद, मीणा महासंघ जैसे कई अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है।

महाराज ने दावा किया है कि- 80 सनातनी किन्नरों को दबाव, डर और प्रतिबंधों के माध्यम से मुस्लिम रीति-रिवाज अपनाने पर मजबूर किया

‘द एज ऑफ़ अरविंदो’ पुस्तक का विमोचन

जयपुर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के अंतर्गत आज क्लाक अम्बर के सूर्य महल हॉल में आयोजित सत्र द एज ऑफ़ अरविंदो अत्यंत सफल एवं विचारोत्तेजक रहा। भारत मूल एवं अमेरिका के निवासी डॉ. परीक्षित सिंह के इस विशेष सत्र में उनकी नवीन पुस्तक द एज ऑफ़ अरविंदो का विमोचन किया गया। सत्र का संचालन संवाद शैली में हुआ, जिसमें निमता दाविदयाल और शौनक ज़रिफ़ दास ने डॉ. सिंह से गहन विमर्श किया।

खचाखच भरे सभागार में इस सत्र का केंद्रीय विषय अरविंदो का दर्शन रहा, जिसमें डॉ. परीक्षित सिंह ने उनके दर्शन के पाँच प्रमुख सूत्रों/मोटिप्स (– प्रमुख जीवन पन्थ) को विस्तार से प्रस्तुत किया। चर्चा में यह रेखांकित किया गया कि

शर्त की पालना नहीं की गई तो निचली अदालत इसकी जानकारी हाईकोर्ट में पेश करेगा।

अधिवक्ता मोहम्मद अनीस ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने साल 1989 में शहर की निचली अदालत में बेदखली और वसूली का दावा किया था। साल 1994 में अदालत ने मामले में सुनवाई के बिंदु तय करते हुए प्रकरण को साक्ष्य के लिए रखा। याचिका में कहा गया कि सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने 25 अक्टूबर, 2010 की तारीख दी थी, लेकिन भूलवश डायरी में यह तारीख 25 नवंबर अंकित हो गई। जिसके कारण तय तिथि पर सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हो सका।

16वीं विधानसभा के पंचम सत्र में कोई नया प्रावधान नहीं

जयपुर। 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में सदन की कार्यप्रणाली में किसी प्रकार का कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधायकों के लिए जारी सभी बुलेटिन एवं विधानसभाओं के सत्रों की तरह ही है। प्रश्न पुछने की प्रक्रिया, प्रश्नकाल, शून्यकाल और अन्य संसदीय व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विधानसभा की स्वस्थ संसदीय परंपराओं के अनुरूप इस सत्र में भी सभी व्यवस्थाएं पूर्ववत रखी जाएंगी हैं। उन्होंने बताया कि पच्ची व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1995 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हरिश्चंकर भाभड़ा के निर्देशानुसार की गई थी, जो 20 मार्च 2020 तक लगातार लागू रही।

इसके बाद 15वीं विधानसभा के छठे सत्र के दौरान 10 फरवरी 2021 को हुई कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तत्कालीन अध्यक्ष सी.पी. जोशी द्वारा पच्ची व्यवस्था को बंद करने का निर्णय लिया गया था।विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश की जनसमस्याएं अधिक प्रभावी ढंग से सदन में उठाने के उद्देश्य से पच्ची व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। इस संबंध में 20 जून 2024 को विधानसभा बुलेटिन संख्या 47 जारी कर सभी विधायकों को पच्ची व्यवस्था के पुनः प्रारंभ और उसकी प्रक्रिया से अवगत कराया गया।विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में लागू पच्ची व्यवस्था पूरी तरह पूर्ववत है। इसमें केवल प्रस्तावों को ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करने की सुविधा जोड़ी गई है। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पच्ची व्यवस्था का उद्देश्य लोक महत्व के विषयों को सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग में सदन में प्रस्तुत करना है, ताकि विधायक जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी रूप से उठा सकें।उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में प्रस्तावों की प्राहता के संबंध में कुछ संशोधनों के साथ 25

वाहन चोर गिरोह के दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार

जयपुर। जिला विशेष टीम जयपुर पूर्व (डीएसटी) और पुलिस थाना जामडोली ने संयुक्त कार्रवाई कर एक संगठित दुपहिया वाहन चोर गिरोह के दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई आठ मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व संजीव नैन ने बताया कि डीएसटी पूर्व और जामडोली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चुराने वाले वीरेन्द्र उर्फ विक्रम मीणा (23) और शैलेन्द्र कुमार जाटव (20) को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपित महुआ जिला दौसा के रहने वाले है।

- सदन की व्यवस्थाएं पूरी तरह पूर्ववत, केवल डिजिटल सुविधा जोड़ी गई**

जनवरा 2020 का 1वधानसभा बुलेटिन संख्या 20 जारी किया गया था। प्रश्नों की संख्या या सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 37 (2) (8) और (10) के अनुसार प्रश्न अत्यधिक लंबे नहीं होने चाहिए और ऐसे विषय नहीं उठाए जा सकते जिनकी प्रकृति इतनी विस्तृत हो कि उनका उत्तर प्रश्न की सीमा में समाहित न किया जा सके। इन्हीं नियमों के आधार पर यह व्यवस्था भी पहले से लागू है कि जहां तक संभव हो, पांच वर्षों से अधिक पुरानी जानकारी नहीं मांगी जाए।देवनानी ने यह भी बताया कि प्रश्नों में यथासंभव प्रदेश के किसी विशेष स्थान, विधानसभा क्षेत्र, तहसील या सीमित क्षेत्र से संबंधित जानकारी मांगी जानी चाहिए, न कि पूरे जिले या सम्पूर्ण प्रदेश की। इसका उद्देश्य अत्यधिक व्यापक सूचना के कारण उत्तर देने में होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से बचना है।उन्होंने कहा कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 37 (2) (17) में पहले से ही यह प्रावधान है कि तुच्छ विषयों पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।

यह नियम राजस्थान विधानसभा की नियमावली के प्रथम संस्करण वर्ष 1956 से लागू है और इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया है। यही प्रावधान लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1952 और देश के अन्य राज्यों की विधानसभाओं में भी समान रूप से लागू है। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकसंसदीय पद्धित और प्रक्रिया में भी तुच्छ विषयों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।विधानसभा अध्यक्ष ने दोहराया कि राजस्थान विधानसभा के, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 37 के अंतर्गत प्रश्नों की प्राहता के आधार पर ही समय-समय पर बुलेटिन जारी किए जाते रहे हैं।



किन्नर समाज के भीतर चल रही अवैध गतिविधियों और धार्मिक कट्टरता पर बैठक का आयोजन किया।

गया, विरोध करने पर मारपीट और आर्थिक दंड तक लागूए जाते हैं।

जन्म से हिंदू होने के बावजूद कई किन्नरों का अंतिम संस्कार इस्लामिक तौर-तरीकों से किया जाता है। कथित हिजड़ा गिरोह त्योहारों, शादियों और

अन्य शुभ अवसरों पर गुंडागर्दी के साथ अवैध वसूली करते हैं। सनातनी समाज से मिल रहे पैसों का उपयोग शराब, मांसाहार, अय्याशी, मदरसों और संदिग्ध गतिविधियों में किया जा रहा है।

विभूषण डॉ. करण सिंह, विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सत्र की विषय वस्तु से प्रभावित होकर अपने दार्शनिक विचार साझा किए। अरविंदो के समग्र मानवतावादी दृष्टिकोण को भारत की बौद्धिक परंपरा की एक ऊँचाई बताया। सत्र के दौरान प्रो. मकरंद परांजपे ने भी प्रश्न पूछे तथा अपने विचार रखे, जिससे विमर्श और अधिक समृद्ध हुआ। उनके प्रश्नों और टिप्पणियों ने अरविंदो के दर्शन की साहित्यिक, दार्शनिक और समकालीन प्रासंगिकता को नई दृष्टि प्रदान की। समग्र रूप से, द एज ऑफ़ अरविंदो सत्र न केवल एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम रहा, विषय-स्त पर प्रासंगिक और प्रेरक है। इस अवसर पर प्रख्यात भारतीय राजनेता, दार्शनिक एवं जन्म-कश्मीर रियासत के टाइटुलर महाराजा, पद्म